उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं० 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851-53 (PBX)
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाइट: www.upsidc.com
ई मेल : feedback@upsidc.c

संदर्भ संख्या 3814-3816 /एसआईडीसी/आई.ए.-पॉलिसी धर्मकांटा-17 दिनांक 08-03-2018

–: कार्यालय आदेश :–

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.01.18 को सम्पन्न 298वीं बैठक में निगम के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में वर्तमान में स्थापित अनाधिकृत धर्मकाटों के विनियमितीकरण एवं भविष्य में धर्मकांटों के संचालन के सम्बन्ध में नीति पर चर्चा की गई तथा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में वर्तमान में स्थापित अनाधिकृत धर्मकाटों के विनियमितीकरण एवं भविष्य में धर्मकांटों के संचालन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति का निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया :–

1. <u>औद्योगिक भूखण्डों पर धर्मकांटा संचालन अनुमन्य करने हेतु नीति।</u>

I. न्यूनतम 500 वर्गमी0 तथा अधिकतम 1000 वर्गमी0 भूमि पर ही धर्मकांटा संचालन हो सकेगा।

II. औद्योगिक क्षेत्र में प्रति 5000 जनसंख्या पर 1 धर्मकांटा अनुमन्य हो सकेगा। सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रों में उपरोक्त के अनुसार आंकलित अधिकतम संख्या तक ही धर्मकांटे अनुमन्य हो सकेगें।

III. धर्मकांटे हेतु ग्राउण्ड कवरेज एवं एफ.ए.आर. यूपीसीडा के नियमावली के अनुसार अनुमन्य होगा।

IV. धर्मकांटा से अच्छादित भूमि को नियमानुसार मूल औद्योगिक भूखण्ड का यथा आवश्यक उप–विभाजन एवं भू–उपयोग परिर्वतन यूपीसीडा के नियमानुसार कराना होगा।

V. धर्मकांटे से आच्छादित भूमि के भू–उपयोग के सापेक्ष आवंटी को नियमानुसार प्रभाव शुल्क का भुगतान करना होगा।

VI. उपरोक्तानुसार प्रभाव शुल्क के भुगतान पर ही धर्मकॉटे हेतु अनुमति दी जायेगी।

VII. धर्मकांटे हेतु आवंटी को यूपीसीडा के मानकों के अनुसार समुचित पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी, जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न न हो सके।

VIII. सम्बन्धित धर्मकांटा क्षेत्र का भवन मानचित्र नियमानुसार यूपीसीडा से अनुमोदित कराकर अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।

IX. धर्मकांटे के संचालन के आवेदन के साथ माप–तौल विभाग तथा स्थानीय यातायात विभाग की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

x. यदि आवेदक नये औद्योगिक भूखण्ड को धर्मकांटा संचालन हेतु आवंटित कराना चाहता है तो औद्योगिक भूखण्डों को धर्मकांटा संचालन हेतु आवंटित किया जा सकेगा परन्तु उक्त हेतु संदर्भित भूखण्ड का आवश्यकतानुसार उप–विभाजन कर, यूपीसीडा से नियमानुसार प्रभाव शुल्क पर वाणिज्यिक भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति लेकर आवेदक को बिना बिड के भूखण्ड आवंटित किया जा सकेगा।

2. वर्तमान में औद्योगिक भूखण्डों पर अनाधिकृत रूप से संचालित धर्मकांटों के सम्बन्ध में।

औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वे कर अनाधिकृत रूप से संचालित किये जा रहे सभी धर्मकांटों को सील कर संचालन तुरन्त बन्द किया जाय। तदोपरान्त यदि आवंटी धर्मकांटा संचालन प्रारम्भ करने हेतु इच्छुक हो तो वह निगम/यूपीसीडा से अनुरोध कर सकता है, जिस पर उपरोक्त नीति के अनुसार कार्यवाही करते हुए तथा अनाधिकृत रूप से धर्मकांटा संचालन के दण्ड स्वरूप संचालन की अवधि से अनुमति प्रदान करने की अवधि हेतु उक्त भूखण्ड के सापेक्ष प्रभाव शुल्क सहित देय समस्त धनराशि का 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उपरोक्त अवधि हेतु प्राप्त करते हुए आवंटी को धर्मकांटे के संचालन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 3314-16/एसआईडीसी–आईए–पालिसी वाल्यूम – 17 दि0 08-03-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव/समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,
2. कम्प्यूटर अनुभाग, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0 लि0, मुख्यालय कानपुर को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0 (औ0क्षे0), मुख्यालय, कानपुर।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner